



GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Transport Department Ghaziabad
FORM 23
CERTIFICATE OF REGISTRATION



Registration No : UP14EJ5326 Registration Date : 14-Feb-2020
Description of Vehicle : MOTOR CAR Purpose For Printing RC : NEW
Dealer's Name & Address : ROHAN MOTORS LTD, MUKUND NAGAR, GHAZIABAD, ...
Owner Name : MS. ANITA Son/wife/daughter of : SHRI RAM PYARE PRASAD
Full Address: (Permanent) : 226, BHOOD BHARAT NAGAR, , GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201009
Full Address: (Temporary) : 226, BHOOD BHARAT NAGAR, , GHAZIABAD-UTTAR PRADESH-201009
Fitness UpTo : 13-Feb-2035 Tax UpTo : One Time
Owner Serial No : 1

Detailed Description

Class of Vehicle : MOTOR CAR Link Vehicle No :
Ownership : INDIVIDUAL Norms : BHARAT STAGE IV
Maker's Name : MARUTI SUZUKI INDIA LTD
Front HSRP No : AA2011524906 Rear HSRP No : AA2011524907
Type of Body : RIGID (PASSENGER CAR) Month/Year of Manuf. : 01/2020
No of Cylinders : 4 Chassis No : MA3NYFB1SLA631394
Engine No : D13A-5900673 Fuel : DIESEL
Horse Power(BHP) : 88.44 Cubic Capacity : 1248.00
Maker's Classification : MARUTI VITARA BREZZA V Wheel base : 2500
DI
Seating Cap(in all) : 5 Standing Cap : 0
Sleepar Cap : 0 Unladen Wt (kgs) : 1180
Colour : PREMIUM SILVER Laden/GV Wt (kgs) : 1680
Other Criteria : AC Fitted : YES
Vehicle Purchase As : Fully Built

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

| By Manuf. | Description | As Regd. | Weight(in kgs) |
|------------|-------------|----------|----------------|
| a) Front: | | | |
| b) Rear: | | | |
| c) Other: | | | |
| d) Tandem: | | | |

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of HDFC BANK LIMITED, SEC-63, NOIDA, , Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301 w.e.f. 08-Feb-2020.

Purchase dt : 07-Feb-2020 Sale Amt : 820748/-
OTT Date : 07-Feb-2020 Amount/Rept No : 65660 / UP14D20020003259
TaxUpTo : One Time Vehicle is Govt./ Pvt. : PRIVATE
Tax Exempted or Not : NOT EXEMPTED Date of Approval : 14-Feb-2020

Other State/Transfer/Conversion Details

Previous Owner :
Old State :
Transfer Date :
Previous RegNo :
Entry Date :
Conversion Date :

This certificate is valid from 14-Feb-2020 to 13-Feb-2035

Date : 19-Feb-2020 13:49:21

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Registration Authority
M.V. Department
Signature of Registering Authority
Date : 19-Feb-2020

K 583589

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/चौड़ाई तथा गुणवत्ता आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहनों की गति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे लिये चुनौती बन गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में देश में लगभग 4.64 लाख दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 1.48 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 4.71 लाख व्यक्ति घायल हो गए। वर्ष 2018 में देश में लगभग 42,568 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 22,256 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 29,644 लाख व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेंकिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि—

अवश्य करें

1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।
2. कार चलाते समय सीट-बेल्ट अवश्य लगाएं।
3. चौराहे पर लाइट रेड हाने पर आगे न बढ़ें।
4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।
5. सड़क संकेतों/चिन्हों का हमेशा पालन करें।

कभी न करें

1. ड्राइविंग लाइसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाड़ी न चलाएं।
2. वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात न करें।
3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
4. खतरनाक ढंग/गति से गाड़ी न चलाएं।
5. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

1. परिवहन विभाग का पोर्टल (www.uptransport.org)
2. परिवहन विभाग की हेल्पलाईन का टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी

